FTS-16759

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या – 01 , सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04, ग्रेटर नोएडा सिटी जिला - गौतमबुद्ध नगर - 201310

पत्रांक : सम्पत्ति /अ.मु.का.अ./2020/85
दिनांक :26/2/2020

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित नीति के कम में जारी कार्यालय आदेश संख्या : सम्पत्ति/पोलिसीफाईल/2016/90 दिनांक 18.02.2016 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवंटी को आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कर , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवंटन / एलोकेशन तिथि से 20 वर्ष की अवधि निर्धारित है। उक्त निर्धारित तिथि को आगामी 02 वर्षो यानि आवंटन से 22 वर्ष तक बढाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 117/19 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मा0 संचालक मण्डल के अनुमोदन के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा आवंटित एकल आवासीय भूखण्ड पर निर्माण कर , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवंटन / एलोकेशन तिथि से 20 वर्ष की अवधि के उपरान्त आगामी 02 वर्ष की अवधि हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :-

कम संख्या	वर्ष	विलम्ब शुल्क का विवरण (जोकि कुल आवंटन मूल्य पर देय होगा)	आगामी दो वर्षो के लिए निर्धारित विलम्ब शुल्क का विवरण
1	21 वां वर्ष	1.20 प्रतिशत (प्रतिमाह)	14.40 प्रतिशत (प्रति वर्ष)
2	22 वां वर्ष	1.40 प्रतिशत (प्रतिमाह)	16.80 प्रतिशत (प्रति वर्ष)

उपरोक्त समयावधि के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में प्राधिकरण द्वारा आवंटित एकल आवासीय भूखण्ड पर भवन निर्माण कर , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु समय विस्तरण अनुमन्य नही किया जायेगा। उपरोक्त आदेश प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.02.2020 के मद संख्या 117/19 में प्रदत्त अनुमोदन के कम में जारी किये जा रहे है , तथा तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगें।

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी)।
3. विशेपकार्याधिकारी (एस0 के) / महाप्रबन्धक (वित्त)।
4. प्रभारी (सिस्टम) को प्राधिकरण वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेपित।
5. समस्त सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

26/02/2020
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी